(3)

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

IN THE MP BOARD OF REVENUE, GWALIOR

REVISION NO................. /2018

निगरानी 3182/2018/विदिशा/भू.रा.

APPLICANT-- Rafiq Khan S/o Shri Ismail Khan, Aged 39 Years, Occupation-Agriculturist, Resident of Village:- Bavachiya Kheda, Post- Satpada Haat, Tehsil Nateran, District Vidisha (MP)

Versus

NON-APPLICANT--

(1) Saleem Khan, S/o Shri Tunde Khan, Resident of Islam Nagar, Village Bavachiya, Post Satpada, Tehsil Nateran, District Vidisha (MP)

श्री आर० के शर्मा अभि० द्वारा आज दि० 24-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 29-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 24-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

(2) Lateef Khan S/o Shri Alam Khan, Resident of Village Lakshmanpura, Post Dharnaoda, Tehsil Radhogarh, District Guna (MP)

2025 24-5-18 राजस्व आयुक्त (मध्य प्रदेश) ग्वालियर

REVISION UNDER SECTION 50 OF THE MP LAND REVENUE CODE AGAINST THE ORDER DATED 28.04.2018 PASSED IN CASE NO. 83/ A-12/2017-18.

May it please this Hon'ble Court:-

The humble applicant most respectfully submits the memo of the appeal as under:-

1- That, non-applicant no.1/Saleem Khan filed an application for demarcation of land survey no. 279/1/1 admeasuring area 0.207 hectare, 279/2/1 admeasuring area 0.533 hectare, 280/1/1 admeasuring 0.208, 280/2/1 admeasuring 0.512 situated at village Bavachiya, Tehsil Nateran, District Vidisha.

2- That, on the application, proceedings were registered before the Court of Tehsildar Nateran, District Vidisha as Case No. 83/A12/2017-18.

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3182/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/06/2018	आवेदक अधिवक्ता श्री अनुपम मिश्रा उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा ग्राम बबाचिया स्थित भूमि आराजी नं. 279/1/1, 279/2/1, 280/1/1, 280/2/1 भूमि के सीमांकन हेतु तहसीलदार नटेरन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार द्वारा सभी संबंधित मेड़िया कृषकों को विधिवत सूचना-पत्र जारी करते हुए एवं पंचनामा तैयार कर टी.एस.एम. मशीन के द्वारा विधिवत सीमांकन किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि सीमांकन की कार्यवाही उन्हें बिना सूचना दिए की गई है जबकि पंचनामा में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक मौके पर उपस्थित था, परंतु हस्ताक्षर करने से मना किया। ऐसी स्थिति में सीमांकन की कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण मानना सही प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	